**प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम**
**एवं जिला कलक्टर उदयपुर**
**निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.**

प्रकरण संख्याः 151/2024 (अपील सूचना का अधिकार)
Mohammed Aseem Khan Add: 325, Khanjipeer near khaad godown behind bohra Masjid, Girwa, Udaipur

..............अपीलार्थी

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

**प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

# निर्णय

दिनांकः 18-11-2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 32960678929634 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 07.09.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 2781301157 दिनांक 25.10.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/151/24/1227—28 दिनांक 25.10.2024 से लिखा गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक प.41/2/सू.अ.2005/प्र.अ.स. 151/2024/1124 दिनांक 29.10.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। इस क्रम में संबंधित अनुभाग द्वारा उपलब्ध सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के ऑनलाईन पत्रांक 2019998969 दिनांक 24.10.2024 से उपलब्ध करवा दी गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 1124 दिनांक 29.10.2024 अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय के ऑनलाईन पत्रांक 2019998969 दिनांक 24.10.2024 से उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
**प्रथम अपील अधिकारी,**
**सूचना का अधिकार अधि.**
**एवं जिला कलक्टर, उदयपुर**